(1)

(78)

# न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

करण संख्या 276/2022

1. रूपचन्द पुत्र देवकरण, उम्र 65 वर्ष, जाति गुर्जर, निवासी टीलावाली, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं।
2. रामोतार पुत्र श्री हनुमानाराम, उम्र 58 वर्ष, जाति गुर्जर, निवासी टीलावाली, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं।

——आवेदक

**बनाम**

1. संतरा देवी पत्नी छाजूराम, जाति गुर्जर, निवासी टीलावाली, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं।
2. श्री जयसिह, उपखण्ड अधिकारी खेतडी, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं।
3. अर्जुन पुत्र देवकरण
4. बलवीर पुत्र देवकरण
5. सिणगारी पत्नी बीरबल
6. अनिता पुत्री बीरबल
7. कोयली पुत्री बीरबल
8. कौशल्या पुत्री बीरबल
9. नीलम पुत्री बीरबल
10. हंसा पुत्री बीरबल
11. जयसिंह पुत्र बीरबल
12. रामसिंह पुत्री बीरबल
13. विजेश सिंह पुत्र बीरबल
    समस्त जाति गुर्जर, निवासीगण टीलावाली, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं।
14. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैक शाखा खेतडी तहसील खेतडी जिला झुंझुनूं जरिये शाखा प्रबन्धक।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतडी, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं।
16. पूर्णसिह पुत्र गुड़दयाल
17. लखमीचन्द पुत्र बीरबल
18. महेन्द्र सिह पुत्र बीरबल
19. मीना पुत्री गुड़दयाल
20. पीन्टा पुत्री गुड़दयाल
21. सुभाष पुत्र बीरबल
    समस्त जाति गुर्जर, निवासीगण टीलावाली, तहसी[illegible] जिला झुंझुनूं।

—— अनावेदकगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.28 16:19:23 IST
Reason: SelfAttested

— — —

प्रार्थन पत्र अ0 धारा 235 राजस्थान काश्तक[illegible]रित किये [illegible]मुकदमा उनवानी संतरा देवी बनाम अर्जुन वगैरह मुकदमा नम्बर 118/[illegible] आवेदन पत्र अ0 धा[illegible]( क ) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी

— — —

जिला कलक्टर झुन्झुनं

उपस्थितः–

1. श्री राजेश बागोरिया, अभिभाषक– आवेदक की ओर से उपस्थित।
2. श्री सुभाषचन्द्र, एडवोकेट– अनावेदक सं0 1 की ओर से उपस्थित।
3. श्री मनिन्द्र बागोरिया, एडवोकेट– अनावेदक सं0 3 लगायत 12, 16 लगायत 21 की ओर से।
4. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– अनावेदक सं0 2 व 15 की ओर से उपस्थित।
5. अनावेदक सं0 13 व 14 की आवश्यक पक्षकार नही होने से तलबी बन्द।

## आदेश

दिनांक 28.09.2022

ावेदकगण की ओर से प्रार्थना पत्र निम्नलिखित प्रकार से प्रस्तुत है कि विपक्षी नं0 1 संतरा देवी ने धीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र अ0 धारा 251 ( क ) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्तुत किया। आवेदन इस आशय का पेश किया कि ग्राम टीलावाली पटवार हल्का बीलवा में स्थित भूमि ख0न0 172 रकबा 0.74 हैक्टर स्थित है जिसमे विपक्षी संतरा देवी का 2/5 हक हिस्सा है तथा खातेदार ाश्तकार है। शेष भूमि अन्य खातेदार काश्तकारो के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा भूमि ख0न0 165 रकबा 0.03 क्टर, ख0न0 166 रकबा 1.88 हैक्टर कुल रकबा 1.91 हैक्टर भूमि आवेदक नं0 3 रूपचन्द व विपक्षी ंख्या 3 व 4 की भूमि है जो खातेदार काश्तकार है। ख0न0 665/167 रकबा 0.37 हैक्टर व ख0न0 64/167 रकबा 0.24 हैक्टर, ख0न0 662/167 रकबा 0.15 हैक्टर के खातेदार विपक्षी संख्या 4 लगायत 2 खातेदार काश्तकार है। विपक्षी संख्या 1 ने अपनी भूमि खसरा नम्बर 172 रकबा 0.74 हैक्टर में आने ाने के लिए खरखडा से चंवरा गुढ़ा मुख्य सड़क के पास स्थित पानी के नल से तिबारा तक जाने वाले ाम रास्ते से फटकर दक्षिण दिशा की तरफ आवेदकगण व विपक्षीगण संख्या 4 लगयात 12 की कब्जे ाश्त की भूमि ख0न0 166 व ख0न0 664/167 व ख0न0 665/167 ख0न0 656/170 में से 12 फीट चौडे रास्ते के आवागमन के लिए आवेदन किया। जिस पर सभी पक्षकारान को नोटिस जारी किये गये तथा तहसीलदार खेतडी से मौके की रिपोर्ट मंगवाई गई तथा उक्त रिपोर्ट पर ग्राम पंचायत व कन्टेस्टिग पक्षकार की ओर से आपति प्रस्तुत की गई उक्त आपति खारिज कर दी गई। विपक्षी संख्या 2 उपखण्ड अधिकारी खेतडी स्थानीय विधायक के प्रभाव में है विपक्षी नं0 1 के नजदीक व लघुतम रास्ता भूमि खसरा नम्बर 656/170 की सिंव के सहारे ख0न0 658/170 पड़ता है। उक्त रास्ता विपक्षी सं0 1 के नजदीक है तथा तहसीलदार खेतडी व उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं को पक्षकारान द्वारा उक्त रास्ते से अवगत करवाया था परन्तु विपक्षी संख्या 2 जानबुझकर भूमि ख0न0 166 व ख0न0 665/167 व ख0न0 664/167 मे से रास्ता निकालने पर आमादा हो रहा है तथा तहसीलदार खेतडी भी विपक्षी नं0 2 के प्रभाव में है। विपक्षी संख्या 2 उक्त मामले में व्यक्तिगत इन्ट्रेस्ट लेते हुए छोटी–छोटी तारीख [illegible] 07.06.2022, 21.06.2022, 28.06.2022, 05.07.2022, 19.07.2022, 26.07.2022, 02.08.2022 [illegible] तथा 02.08.2022 के बाद पत्रावली में कोई आदेशिका अंकन नही किया है तथा न ही कोई तारीख [illegible] दी गई है। न ही मामले में कोई कार्यवाही कर रहा है तथा आवेदकगण को धमकी दे रहा है [illegible] विधायक का प्रभाव है आपके विरूद्ध निर्णय करना मेरी मजबूरी है। मुझे नौकरी करनी [illegible]। इसलिए प्रार्थीगण आवेदकगण को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतडी के पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद नही है। विधि का सिद्धान्त है कि न्याय न केवल होना चाहिए, बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए जिसमें एहसास हो कि पक्षकार के

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.28 16:19:23 IST
Reason: SelfAttested

80

थ न्याय किया जा रहा है। लेकिन अदालत मातहत विपक्षी नं0 2 स्थानीय विधायक के नाजायज दबाब होने के कारण आवेदकगण के साथ न्याय नही कर रहा है और न ही आवेदकगण को भी अदालत तहत उपखण्ड अधिकारी खेतडी से कोई न्याय मिलने की कोई आशा है। ऐसी सूरत में प्राकृतिक न्याय ा सिद्धान्त है कि श्रीमानजी उक्त प्रकरण को स्वयं सुने या जिले के किसी भी निष्पक्ष उपखण्ड अधिकारी ो स्थानान्तरित किया जाना न्यायोचित है जिससे आवेदकगण के साथ न्याय हो सके। अतः प्रार्थना पत्र य शपथ पत्र पेशकर निवेदन है कि आवेदकगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवेदकगण द्वारा स्तुत प्रकरण को नियमानुसार सुनवाई हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतडी से अन्य किसी राजस्व यायालय में हस्तान्तरित किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उपखण्ड अधिकारी, खेतडी से वस्तुस्थिति का तथ्यात्मक प्रतिवेदन गवाया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उपखण्ड अधिकारी, खेतडी ने पत्रांक 586 दिनांक 26.08.2022 द्वारा बिन्दुवार तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र का खण्ड 1 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का खण्ड 2 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का खण्ड 3 गलत होने से अस्वीकार । प्रार्थना पत्र का खण्ड 4 जिस भांति दर्ज है, अस्वीकार है। बल्कि माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा इस प्रकार के प्रकरण यथा अन्तर्गत धारा 251 ( क ) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रकरणों को अनावश्यक प्रकृति का मानते हुए 90 दिवस मे पक्षकारों की युक्तियुक्त सुनवाई कर निस्तारण करने के निर्देश प्रदान किये हुए है। प्रार्थना पत्र का खण्ड 5 अस्वीकार है। उक्त बिन्दू मे तथाकथित बाते मनगढन्त, बनावटी, निराधार व सत्यता से परे है। पीठासीन अधिकारी द्वारा संविधान की मर्यादा मे रहते हुए प्रकरण मे न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही न्यायिक कार्यवाहियां सम्पादित की गई है। प्रार्थना पत्र का खण्ड 6 व 7 कानूनी है। प्रार्थना पत्र के बिन्दू सं0 8 के जबाब की आवश्यकता नही है। अतः बिन्दूवार रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र संख्या 118/2021 उनवानी सन्तरा देवी बनाम अर्जुन आदि को माननीय न्यायालय द्वारा अन्य न्यायालय मे स्थानान्तरित किया जाता है तो न्यायालय हाजा को कोई आपत्ति नही है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अभिभाषक दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 2 उपखण्ड अधिकारी खेतडी स्थानीय विधायक के प्रभाव में है विपक्षी नं0 1 के नजदीक व लघुतम रास्ता भूमि खसरा नम्बर 656/170 की सिंव के सहारे ख0न0 658/170 पड़ता है। उक्त रास्ता विपक्षी सं0 1 के नजदीक है तथा तहसीलदार खेतडी व उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं को पक्षकारान द्वारा उक्त रास्ते से अवगत करवाया था परन्तु विपक्षी संख्या 2 जानबुझकर भूमि ख0न0 166 व ख0न0 665/167 व ख0न0 664/167 मे से रास्ता निकालने पर आमादा हो रहा है तथा तहसीलदार खेतडी भी विपक्षी नं0 2 के प्रभाव में है। विपक्षी संख्या 2 उक्त मामले में व्यक्तिगत इन्ट्रेस्ट लेते हुए छोटी–छोटी तारीख पेशिया क्रमशः 07.06.2022, 21.06.2022, 28.06.2022, 05.07.2022, 19.07.2022, 26.07.2022, 02.08.2022 दे रखी है तथा 02.08.2022 के बाद पत्रावली में कोई आदेशिका अंकन नही किया है तथा ना ही कोई तारीख पेशी दी गई है। न ही मामले में कोई कार्यवाही कर रहा है तथा आवेदकगण को धमकी दे रहा है कि मुझ पर स्थानीय विधायक का प्रभाव है आपके विरूद्ध निर्णय करना मेरी मजबूरी है। मुझे नौकरी करनी है। इसलिए प्रार्थीगण को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतडी के पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद नही है। प्राकृतिक सिद्धान्त है कि न्याय न केवल होना चाहिए, बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए जिससे एक पक्षकार के साथ न्याय किया जा रहा है। लेकिन अदालत मातहत विपक्षी नं0 2 स्थानीय विधायक के नाजायज दबाब में होने के कारण आवेदकगण के साथ न्याय नही कर रहा है और न ही आवेदकगण को भी अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी खेतडी

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.28 16:19:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर झुन्झुनूं

कोई न्याय मिलने की कोई आशा है। ऐसी सूरत में प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त है कि श्रीमानजी उक्त करण को स्वयं सुने या जिले के किसी भी निष्पक्ष उपखण्ड अधिकारी को स्थानान्तरित किया जाना ायोचित है जिससे आवेदकगण के साथ न्याय हो सके। अतः आवेदकगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया ाकर आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण को नियमानुसार सुनवाई हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतडी अन्य किसी राजस्व न्यायालय में हस्तान्तरित किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

वकील अनावेदक सं0 1 ने वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया क प्रकरण मे अप्रार्थी सं0 1, 2 व 15 पर लगाये गये आरोप सही नही है। न्याय मे देरी के उददेश्य से यह ार्थना पत्र मुकदमा स्थानान्तरण पेश किया गया है। पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोप गलत व बुनियाद है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

वकील अनावेदक सं0 अनावेदक सं0 3 लगायत 12, 16 लगायत 21 ने कोइ बहस नही की था अनावेदक सं0 13 व 14 की आवश्यक पक्षकार नही होने से तलबी बन्द की गई एवं उन्हे नही सुना या।

अप्रार्थी सं0 2 व 15 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध केया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में नियमानुसार सुनवाई की कार्यवाही की जा रही है। पीठासीन अधिकारी पर कोई गंभीर आरोप नही है। प्रकरण मे देरी के उददेश्य से यह प्रार्थना पत्र मुकदमा स्थानान्तरण पेश किया गया है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा उपखण्ड अधिकारी खेतडी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया। वकील प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बुहाना मे विचाराधीन बमुकदमा उनवानी संतरा देवी बनाम अर्जुन वगैरह मुकदमा नम्बर 118/2021 आवेदन पत्र अ0 धारा 251( क ) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्थानान्तरण अन्य न्यायालय मे स्थानान्तरित करने हेतु कोई ठोस युक्तियुक्त कारण नही बता पाये। अतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खेतडी को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 28.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( एल0एस0कुडी )
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.28 16:19:23 IST
Reason: SelfAttested